

1. इंडिपेंडेंट थॉट V/S भारत सैंच - 2017 D.B. SC

IPC Sec 375 का अपवाद (2) ART-14, 15 एवं 21 को उल्लंघन करता है कतः मिरस्त डिजे जोमे योग्य है तथा POCS Act के प्रावधानों के विरुद्ध भी है।
"किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया अप्रयुक्त बलात्कार नहीं है यदि पत्नी 18 वर्ष से कम की नहीं है।"

2. M.S. MATHURAS and Instrumentation Pvt Ltd v/s Kanchan Mehta 2017

यदि Accused चैंड धनराशि + धाज तथा अन्यो सहित मिराह लिखी परजमा करने को लैया ले (COOPER) नामले अ उपशान्त कर सकत तथा Accused को व्यक्तिगत उपलब्धि से धूटे के सकत है यदि कार्रवाई जारी रहे जाने योग्य है।

3. शिवधन चौहान V/S भारत सैंच - 2014

ART-72(1)(b) में क्षमादान की शक्ति का उ.र. इस अपार पर डि. दया याचिका मिस्तारण में अपुम्किपुम्क, अपुम्कीकत तथा अितावशुत विलम्ब किया जाता है तो Death Penalty को L. के Converter किया.

4. श्याम नारायण चौडसे V/S भारत सैंच - 2018

सिनेमा हाल में पी.चर फिलिम प्रारम्भ डिजे जाने से पूर्व पडे पर राजूगा सपाना अडिशात्मक नहीं वेंडिलिपु व निडेशाकड है तथा डिवांग को समाप्त में खडे छेके से धूट की जायगी

5. समीर विद्यासागर भारद्वाज V/S नन्दिता समीर भारद्वाज - 2017

D.V. Act Sec-17 में साक्षी गृहस्थी पति-पत्नी दोनों के नाम है ले D.V. के अभियोग में पति को निवास अडिशा जारी कर पति को निर्णय तक अलग रहने का निर्देश दिया जा सकत है।

6. शाफराबानो V/S भारत सैंच 2017 सिविपिड पीठ 3:2

तीन ललाड/ ललाड उल्ल लिददत को अपाह डिजाजातये तथा शारिपत केवि 1937 की धारा 2 को समाप्त डिजाजात है केरिडे पर ART 14 के उोक्तिण में है तथा धर 15 व 21 को उल्लंघन करता है तथा ART-25(1), 26 B तथा 29 उर संरक्षित नहीं है।

कुम्भः

7. राजेश शर्मा vs UP राज्य 2017

498A(9PC) के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति व मांगले की गंभीरता

के कारण अप्रत्याशित हुई होने पर सामान्य दिशा निर्देश जारी -

पूर्व में: जीति गुप्ता vs झारखंड हाउस - 2010
 अनेश कुमार vs बिहार राज्य - 2014 - गिरफ्तारी के बारे में
 ललित कुमारी vs U.P हाउस - 2013 - अश्लील के शोषण को
 दिशानिर्देश - विधिमान

8. शीशु कुमार पाल vs आसाम राज्य - 2017

Default Bail CRPC 167(2)(1) के अंतर्गत 60/90 में Invest. सूचक है

9. जयंत कृष्ण राव vs पुलास्वामी vs भारत संघ - 2017 9 सप्टेम्बर (सिपिआर)

श्री P शर्मा vs लीशचन्द्र मिना मिना डिल्ली - 1954 - सिपिआर के संश्लेषण
 राजश्री vs UP राज्य - 1954 एकात्मता के अंतर्गत सिपिआर को हेतु नही
 को Overrule कर - एकात्मता की अपेक्षा में अश्लील मूल सिपिआर को
 अनुसूचित आचार काई योजना के प्रवर्तन से संबंधित है।

10. अमरदीप सिंह vs हरलीन शर्मा - 2017

मामा की धारा 13(ख) के (1)(ii) में 6 माह की प्रतीक्षा के अभाव
 को दिशात्मक नही वरन निर्देशात्मक ही पाठे अन्वय शर्ते - (54-95
 प्रमाण विफल, 4 शर्तों के अन्वय में, अतिरिक्त तब - अकालिक
 मांगले को सिपिआर लिपाई) पूर्ण होती है तो विचारण नाम
 स्वविवेकानुसार अन्वय में धूर के सकल है।

11. सेब लारफ फाउन्डेशन vs भारत संघ 2016 (सिमरीटेंस लॉ)

संरक्षक दायित्व में धापल व्यक्तियों को तत्काल उपचार, तत्काल मजद
 व जो धापल पहुँचाने वाले व्यक्ति (सिमरीटेंस) को संरक्षण प्रदान
 करने हेतु दिशा निर्देश जारी - 10 जाइलान्स

12. शाफी मोहम्मद vs हिमाचल प्रदेश - 2017

यदि कोई पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रमाणित कराना चाहता है। परन्तु उसकी
 पहुँच उस पत्र तक नही है। जिससे वह Dependent उत्पादित किया गया था तो
 धापल के Sec-65B में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना व प्रमाणित
 करना आवश्यक नही होगा उक्त Judgment ने हरपाल सिंह @ देवा
 vs पंजाब 2016 को Overrule किया जिसमें Mobile details हेतु प्रमाण पत्र जारी था

13. सोशल एक्सचेंज फोरम फॉर मानवाधिकार ५३ भारतसंघ - 2018
 S.C का 9PC की धारा 498A के संबंध में पूर्ण निर्णय राजेश्वरामा ५३ UP. 2017
 द्वारा जारी फिरो दिशा निर्देशों को निरस्त किया गया। जो अन्वेषण गिरफ्तारी
 व जमानत के संबंध में हैं। - www.lawsonline.org. 07 देखें

14. नवतैज सिंह जोहर ५३ भारतसंघ 2018 - संविधान पीठ
 9PC की धारा - 377 अंग्रेजिड रूप से असंवैधानिक - ART 14 व 19 का
 उल्लंघन करती है। अतः एल.जी.बी.टी. समुदाय के अधिकारों को निरस्त,
 ① दो व्यक्तियों के मध्य सहमतिजन्य यौन छूट को दण्डनीय बनाये - 4700
 शोध - सभी मामलों में 9PC. 377 संवैधानिक है।
 इस निर्णय द्वारा S.C का पूर्ण निर्णय सुरेश कुमार काबाल ५३ नज का उल्लेख
 निरस्त किया गया
 Homosexual - पुरुष का पुरुष से
 Heterosexual - पुरुष का महिला से
 Lesbian - महिला का महिला से
तीनों ही स्थितियों में असंवैधानिक
 पुरुष या महिला का पशु के संबंध संबंध लागू - 9PC 377 में संवैधानिक

15. जोसफ सिने ५३ भारतसंघ 2018 - संविधान पीठ
 9PC की धारा - 497 (भारत) के offence में - केवल पुरुष को दीखत करे।
 तथा महिला को दोषी न माने जाने के कारण - असंवैधानिक है। तथा
 ART. 14, 15 तथा 19 का violation करती है। साथ ही CRPC की
 धारा 198(2) उचित संबंधों प्रावधान भी अक्रिय होने से निरस्त

के संपर्क में
 धारणा
 की धारणा
 होकर दोषी
 नालावार
 विचारणा

16. महे-दर-चावला ५३-भारत संघ - 2018 . ART-32
 "साफ़ी संरक्षण योजना" 2018 लागू - जब तक संसद द्वारा इस संबंध में विधि
 नहीं बना दी जाती तब तक ART 141/142 के अधीन सामान्य विधि होगी
 "संरक्षित ५३ आशाश्रमि जापू" के मामलों में साक्षियों की हत्या, धमकी तथा
 उत्प्रेरण के आधार पर दंडित मामलों में साक्षियों के संरक्षण हेतु विधि

17. स्वच्छिन्न त्रिपाठी ५३ सुप्रीम कोर्ट of India 9-2018
 व्यापक जनहित मामलों तथा कुछ अपवादित मामलों में S.C को सुनवाई
 कार्यवाहियों का सजीव व सीधा प्रसारण स्वीकार डिभागाया फरक इस
 संबंध में सुला-न्यायालय" 2017 की गारिमा, खिच्यार को ध्यान रख
 जायेगा (CRPC Sec 327 एवं CPC की धारा - 153-बी) के अन्तर्गत

कोड

18. तहसीन एस पूनावाला ५३ भारतसंघ 2018
 mob lincing के मामलों में पूरे देश के पुलिस प्रशासन हेतु दिशा
 निर्देश जारी करना पड़ा जिसमें पशुतस्करों, ठाकन महिला तथा लव
 जेहादी के आरोपी की अनिश्चित भीड़ धरा पिटाई की जाती है।

शांति कुवाहिनी vs भारत संघ - 2018
 Noobur Killing IPC में अपराध है अतः ऐसी घटनाओं पर IPC ही धारा 141, 143, 503, 506 के साथ अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन संस्थित किया जावे दिशा निर्देश जारी करें

कामनकाज सोसायटी vs भारत संघ - 2018
 विशेष परिस्थितियों में passive यूथनाशिया को मान्यता दी गई। M.C. के निर्देशों के अंतर्गत Section 3 की शाय द्वारा जीवन्मुक्त उपकरणों को हटाया जाता है जो रोगी को हृदय अस्वास्थ्य के कारण पीड़ित रखते हैं।

राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण vs भारत संघ 2014 (NALSA)
 सरकार विन्नरो (हिजरो) को देश के तृतीय लिंग की पहचान तथा देश के अन्य नागरिकों की तरह सभी विधि व संबंधित अधिकार दिया जाना सुनिश्चित करें।

लिली थामस एव लौक प्रदरी vs भारत संघ - 2013
 जन प्रतिनिधित्व अधि 1951 की धारा 8(p) असंबंधित है। किसी भी अज्ञात से दोषी करार पाए जाने और 2 वर्षों का इससे अधि की सजा मिलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त होगी।

3. पीपुल्स यूनिअन ऑफ लिबरल लिबर्टीज (PULL) vs भारत संघ 2013
 मतदाता को विकल्प को नकारने का अधिकार मिलना चाहिए मतपत्र या EVM में NONE OF ABOVE (NOTA) का विकल्प होना चाहिए।

4. श्री लक्ष्मण मनुजार् परमार vs भारत का चुनाव आयोग (ECI) 2018
 NOTA की व्यवस्था देश के आम चुनाव के लिए लागू किया जा सकता है किन्तु NOTA की व्यवस्था को "राज्यसभा के चुनाव हेतु" लागू किया जाना ART 80(p) के अन्तर्गत आवश्यकताओं के उल्लंघन में होगा।

25. शम्शी मोहम्मद vs ~~हरपाल सिंह~~ हरपाल सिंह @ घोटा पंजाब राज्य - 2016 SC
 जेन कालस की डिटेल् एबलक साक्ष्यो के रूप में ग्राह्य नहीं होंगे जबतक वे साक्ष्य अधिन की धारा-65B (प) के अन्तर्गत यथा तरीके से प्रमाणित न हों
26. अनवर P.V vs पी०के० बशीर 2014 SC
 इलेक्ट्रॉनिक अधिलेख के साक्ष्य एबलक ग्राह्य नहीं होंगे जब तक कि वे एचएल की धारा-65बी(प) के अन्तर्गत यथा प्रारूप में प्रमाणित न हों अर्थात् प्रमाणपत्र में प्रेश किया गया है
27. रमपेन्द्र सिंह पंजाब त्रिपुरा राज्य 2017 SC
 पीडित व्यक्ति को CRPC की धारा 372 के परन्तु (डि०31/12/05 से प्रमाणी) के अधीन अभिपुस्त की दोषमुक्ति के अन्तर्गत के फिरवट अपील करने का सारवान और स्वतंत्र अधिकार है किन्तु ऐसी अपील ज-सी अनुमति से ही किया जा सकता है (सत्यपाल सिंह पंजाब राज्य - 2015) के निर्णयानुसार धारा 372 के परन्तु को धारा 378(3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए
28. हरदीप सिंह पंजाब राज्य - 2014 SC. (CONSTITUTIONAL BENCH)
 डिप्टी ऑफिसर की जांच कवियारों के दौरान साक्ष्य ले प्रतीत के डिप्टी ऑफिसर ने जो Accused नहीं है उसे ऑफिसर डिप्टी ऑफिसर जिसे लिए ऐसे व्यक्ति का Accused के साथ बियाण किया जा सकता है कहां COURT उसे किस्से जांचवादी कर सकता है
- (i) FIR में नाम न हो
 - (ii) FIR के Part 2 में नाम हो
 - (iii) FIR में नाम था लेकिन charge sheet नहीं किया गया
 - (iv) Person को Discharge दिया गया
 - (v) केवल Chief Exam के आधार पर ही जोडा जा सकता है यदि Record पर Material उपलब्ध है Cross Exam जरूरी
29. धर्मपाल पंजाब हरियाणा 2014 SC (CONSTITUTIONAL BENCH)
 भागले की सुपुडगी के बाद Sec-193 के सेशन न्याया संज्ञान के

जीडने के लिए Sec 319 CrPC के साक्ष्य का इन्तजाह नही कर सकता वह पुलिस द्वारा file documents के आधार पर विचार करते आलेखिक अभियुक्त को समन कर सकता है CrPC 319 के अन्तगत सेवान न्यायालय साक्ष्य अभिलेखन के स्तर पर सीधे (Direct) समान ले सकता है।

30 लखित कुमारी vs उत्तरप्रदेश सरकार - 2008/2014 (COMB Bench)

154 CrPC के अन्तगत संशोधन अपराध की सूचना प्राप्त होने पर FIR दर्ज करने हेतु कोई पुलिस अधिकारी बाध्य है या प्रारम्भिक जांच करना आवश्यक है -

1. यदि सूचना से संशोधन offence उद्भूत होना प्रकट होतो FIR दर्ज करना आवश्यक है प्रारम्भिक जांच जरूरी नहीं
2. यदि सूचना से संशोधन offence प्रकट नहीं होतो तो प्रारम्भिक जांच जरूरी
3. यदि जांचके संशोधन offence प्रकट होतो FIR दर्ज करना जरूरी तथा FIR दर्ज करना जरूरी नहीं होतो इतना ही सूचना 7 days में पीछा की जाय साक्ष्य दिया जाना जरूरी
4. संशोधन offence प्रकट होने पर FIR दर्ज न करने पर पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक है
5. निम्न मामलो में प्रारम्भिक जांच जरूरी है -
 - (क) वैवाहिक विवाद (ग) वाणिज्यिक अपराध
 - (ख) पारिवारिक विवाद (घ) चिन्तित अपेक्षा के मामले
 - (ङ) भ्रष्टाचार के मामले (च) मामले जहां फांसी अभियोजन का प्रारम्भ अव्यक्त तरीके से लिया गया है